दो वर्ष के प्रोबेशन काल में प्रोबेशनर ट्रेनी को मिलने वाले अवकाश, लाभ एवं भत्ते

1. प्रोबेशन अवधि

- सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिक के लिए प्रोबेशन अवधि 2 वर्ष होगी।
  (F.1(2)FD/Rules/2006, दिनांक 13-03-2006)
- राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारियों के लिए प्रोबेशन अवधि 1 वर्ष होगी।
  (F.1(2)FD/Rules/2006, दिनांक 26-12-2011 एवं 03-07-2014)

2. पारिश्रमिक एवं भत्ते

- नियुक्त कार्मिक को 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) दिया जाएगा।
- इस अवधि में कोई अन्य भत्ता देय नहीं है।
- प्रोबेशन अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जाएगी।

3. कटौतियां

- नियत पारिश्रमिक से राज्य बीमा की कटौती नहीं होगी।
- अप्रैल माह में सामूहिक दुर्घटना बीमा और प्रत्येक माह NPS (10%) अंशदान की कटौती होगी।
- पूर्व से ही राजकीय सेवा में कार्यरत व्यक्ति, प्रोबेशन में पूर्व पद का वेतनमान या नियत पारिश्रमिक जो लाभकारी हो चुन सकता है।

4. वेतन नियोजन

- प्रोबेशनर ट्रेनी का वेतन Pay Matrix के प्रथम Cell में निर्धारित होगा।
- प्रोबेशन सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद पहली वेतन वृद्धि 1 जुलाई को दी जाएगी, जो प्रोबेशन समाप्ति के बाद पहली तिथि होगी।

5. अवकाश नियम

देय अवकाश

- प्रति कैलेंडर वर्ष 15 आकस्मिक अवकाश (Casual Leave)।

www.teachergyan.com

- महिला ट्रेनी: 180 दिन प्रसूति अवकाश (Rule 103, 104)।
- पुरुष ट्रेनी: 15 दिन पितृत्व अवकाश (Rule 103A)।

अवकाश जो देय नहीं है

- अर्जित अवकाश (Earned Leave) प्रोबेशन में अर्जित नहीं होगा।
- ऐच्छिक अवकाश (Optional Leave) देय नहीं है।

अन्य विशेष प्रावधान

- पूर्व से ही राज्य कर्मचारी होने पर, पूर्व अर्जित अवकाश का उपभोग किया जा सकता है, जिससे प्रोबेशन अवधि नहीं बढ़ेगी।
- असाधारण अवकाश (EOL): अधिकतम 30 दिन नियुक्ति अधिकारी स्वीकृत करेगा; 30 दिन से अधिक प्रशासनिक विभाग की स्वीकृति आवश्यक है।
- 08-08-2019 के बाद 30 दिन से अधिक EOL लेने पर प्रोबेशन अवधि उतनी ही बढ़ेगी।
- विशेष परिस्थितियों में Child Care Leave स्वीकृत हो सकती है, परंतु जितनी अवधि CCL होगी, उतनी अवधि प्रोबेशन बढ़ेगा।

6. अन्य लाभ

- प्रोबेशन में तदर्थ बोनस देय नहीं।
- निलंबन की स्थिति में निर्वाह भत्ता देय है।
- प्रोबेशन अवधि पदोन्नति और ACP के लिए सेवा अवधि में गिनी जाएगी।
- मेडिक्लेम बीमा कवर उपलब्ध।
- सरकारी कार्य हेतु यात्रा पर बस किराया, विराम भत्ता एवं अन्य व्यय देय।
- स्थानांतरण पर केवल Mileage Allowance & Incidental Fixed Remuneration पर।
- सेवा में मृत्यु/निशक्तता होने पर NPS के तहत Provisional Family Pension एवं Gratuity देय है।
- OPS का लाभ तभी मिलेगा जब नियोक्ता का अंशदान व ब्याज 60 दिन के अंदर सरकारी राजस्व में जमा करवा दिया जाए।

www.teachergyan.com